न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 36/2008
पंजीयन दिनांक 31.01.2008

(1). रामसुख पिता रूपा जाति जाट निवासी चावण्डिया हाल निवासी भटखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). शंकरलाल पिता रूपा जाति जाट निवासी चावण्डिया हाल निवासी भटखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). रामुबाई पुत्री रूपा जाति जाट निवासी चावण्डिया हाल निवासी भटखेड़ा त्हसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). छोगा पिता उदा जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(2). मांगीलाल पिता छगना जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(3). रामलाल पिता छगना जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(4). नन्दुबाई पत्नि स्वर्गीय प्रताप जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(5). कालुराम पिता स्वर्गीय प्रताप जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(6). सुडाराम पिता स्वर्गीय प्रताप जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(7). जोधराज पिता स्वर्गीय प्रताप जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(8). सोसर बाई पुत्री स्वर्गीय प्रताप पत्नी प्रथु जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(9). सोहनी पुत्री स्वर्गीय प्रताप पत्नी नारायण जाति जाट निवासी रेनवास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)।
(10). सरकार जरिये तहसीलदार भू-अभिलेख बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।
(11). रूक्मा पुत्री श्रंगारी पत्नि कजोड़ जाति जाट निवासी चावण्डिया हाल निवासी सुरजनियास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(12). तुलसीबाई पुत्री स्वर्गीय श्रंगारी पत्नी कजोड़ जाति जाट निवासी चावण्डिया त्हसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ
प्रकरण संख्या 18/2003 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2007

उपस्थित वक्त बहस-(1). दिनेश दायमा -अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10
(3). रेस्पो0 संख्या 1 से 9, 11, 12-बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 30.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांटगण वादीगण संख्या 1 से 4 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा चावण्डिया तहसील बैगूँ की आराजी संख्या 527, 528, 529, 530, 531 कुल किता-5 कुल रकबा 80 बीघा 2 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। भू-प्रबन्ध से पूर्व वादीगण के पिता स्वर्गीय रूपा पिता बख्तावर के नाम का खाता आराजी संख्या 227/3 रकबा 20 बीघा विद्यमान था साथ ही प्रतिवादी छोगा पिता उदा का पृथक खाता छगना मृतक के नाम एवं मृतक प्रतिवादी प्रताप पिता लाल के नाम दर्ज रेकॉर्ड था। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 527, 528, 529, 530, 531 मे रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा वादी का होकर वादी के कब्जे मे है। उक्त आराजीयात साबिक भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 227/3 रकबा 20 बीघा बीड़ से बनी है, जो कि जरीब छोटी होने के कारण रकबा बढ़ाकर 26 बीघा 13 बिस्वा हो गया । वादी ने आराजी संख्या 227/3 रकबा 20 बीघा सन 1955 मे तत्कालीन जागीरदार भैरूसिंह से खरीदा और वादी के खाते मे दर्ज हो गई। परन्तु मौजूदा भू-प्रबन्ध के अधिकारियों ने वादी की कब्जे काश्त की आराजी उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे शामिल कर वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते मे अंकित कर दी जिसकी खातेदारी घोषणा कराने का वादी को अधिकार है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मौजा चावण्डिया की आराजी संख्या 527, 528, 529, 530 व 531 मे रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा कृषि आराजीयात वादी की खातेदारी मे दर्ज कराई जाकर भू-प्रबन्ध से पूर्व आराजी संख्या 227/3 रकबा 20 बीघा की हाल भू-प्रबन्ध अनुसार 26 बीघा 13 बिस्वा वादी की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिवायी जाकर दिनांक 27.03.2002 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व जवाबदावे को सिद्ध करवाने मे असफल होना बताकर वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा व जवाबदावा को खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.01.2003 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2002 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित किया जिसकी पालना मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण मे पुनः बहस सुनी जाकर दिनांक 30.11.2007 को वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को पूर्व मे पृथक-पृथक खातेदारी मे दर्ज होना दस्तावेजी साक्ष्यो व नामान्तरण के आधार पर स्वीकार किया परन्तु बाद मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को शामलाती एक खाते मे दर्ज किया गया जिससे उभय पक्षकारान पृथक-पृथक किस भू-भाग पर काबिज है यह सिद्ध कराने मे वादीगण व प्रतिवादीगण को पूर्णतया असफल होना बताकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण के पिता व पति स्वर्गीय रूपा पिता बख्तावर ने मौजा चावण्डिया तहसील बेगूँ की साबिक आराजी सख्या 227/3 को चावण्डिया के तत्कालीन जागीरदार भैरूसिंह से अपंजीकृत विकय पत्र से कय किया है। जो दस्तावेज पत्रावली मे प्रदर्श 1ए के रूप मे उपलब्ध है। उक्त दस्तावेज जो कि सन 1955 का है, के आधार पर नामान्तरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 30 निर्णित हुआ जो पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 7 मे होना अंकित है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 8 जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 मे उक्त वर्णित कयशुदा कृषि आराजीयात रूपा पिता बख्तावर जाट के नाम रकबा 20 बीघा दर्ज रेकॉर्ड रही। उक्त वर्णित कयशुदा आराजीयात को भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध पर्चा खातौनी मे आराजी संख्या 527 से लगायत 531 तक मे शामिल किया जाकर अन्य प्रतिवादीगण के साथ केता वादी रूपा का नाम सहखातेदारी मे दर्ज कर दिया जिसमे रूपा की स्वअर्जित कयशुदा भूमि जिसका रकबा नवीन भू-प्रबन्ध की नाप के अनुसार 26 बीघा 13 बिस्वा बनता है जिसकी खातेदारी का अनुतोष अपीलांट्गण के पिता वादी रूपा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर चाहा गया है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे मे अपीलांट्गण के पिता वादी रूपा की कयशुदा आराजीयात होने के संबंध मे आपत्ति व ऐतराज भी प्रस्तुत नहीं किया गया हे। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे सिर्फ यह अंकित कर वादपत्र खारिज किया कि वर्तमान मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे पक्षकारान का किस-किस भू-भाग पर कितना कब्जा है को पक्षकारान द्वारा साबित नहीं करवाया गया है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 को अनिर्णित रखा जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से प्रभावित है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 स्वीकार की जाकर अपीलांट्गण वादीगण की कयशुदा आराजीयात को पृथक खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपनी कयशुदा आराजी संख्या 227/3 रकबा 20 बीघा जिसके नवीन आराजी सख्या 527 से लगायत 531 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा के संबंध मे कब्जे अनुसार घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण मे वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर मौके पर काबिज अनुसार मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट की ओर से दिनांक 15.10.2003 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट मांगीलाल की ओर से दिनांक 15.10.2003 को ही प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से सहमति का दिया जाकर कमिश्नर के द्वारा विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की । तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी व आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी पर दिनांक 11.02.2004 को बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) जाप्ता दीवानी व आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी दिनांक 25.02.2004 को स्वीकार किया गया व सहमति के जवाब के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी को अनिर्णित रखते हुए उक्त पत्रावली मे अग्रिम कार्यवाही की जाकर दिनांक 30.11.2007 को अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना नहीं मानते हुए वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नही होने से अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण संख्या 1, 2 व 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 18/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी जो दिनांक 15.10.2003 से अनिर्णित है , उक्त प्रार्थना-पत्र को अनिर्णित रखते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत यथाशिघ्र निस्तारण कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे, तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 06.10.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)